लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1401

09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग पर कराधान शुल्क में परिवर्तन

1401. श्री एंटो एन्टोनी:

डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कराधान शुल्क परिवर्तन के कारण वस्त्र उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शुल्कों के कारण वस्त्र उद्योग को कुल अनुमानित हानि कितनी है;

(ख) भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए यह सकारात्मक है अथवा नकारात्मक;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त शुल्क परिवर्तन के कारण कारोबार मूल्य और रोजगार के संदर्भ में हानि या लाभ का ब्यौरा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रभावित वस्त्र निर्यातकों की सहायता के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): मंत्रालय नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों को हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल के भारत के निर्यात की निगरानी कर रहा है और वस्त्र क्षेत्र के सभी क्षेत्रों पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव की ट्रैकिंग कर रहा है।

अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान भारत का वस्त्र और अपैरल निर्यात, हस्तशिल्प सहित, 20,401.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष (20,728.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की इसी अवधि की तुलना में 1.8% की मामूली कमी को दर्शाता है, फिर भी वैश्विक टैरिफ से संबंधित और अन्य बाहरी चुनौतियों के बावजूद निर्यात निष्पादन में समग्र स्थिरता का संकेत देता है। (स्रोत- (क्विक एस्टीमेट्स) (Quick Estimates), वाणिज्य विभाग)। अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान, भारत के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 100 से अधिक देशों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई – जिसमें यूएई, यूके, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, चीन, सऊदी अरब, ईजिप्ट और जापान जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं - जो भारतीय वस्त्र उद्योग के अनुकूल और विविधीकरण प्रयासों को दर्शाता है। (स्रोत- डीजीसीआईएस)

उत्पाद विविधीकरण, मांग, गुणवत्ता, संविदात्मक व्यवस्थाएँ आदि जैसे विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रभाव यह निर्धारित करेगा कि वैश्विक बाजार में भारत के वस्त्र क्षेत्र के निर्यात पर पारस्परिक शुल्कों का कितना असर पड़ेगा। मंत्रालय भारत के वस्त्र एवं अपैरल निर्यात पर यूएस टैरिफ के प्रभाव तथा अन्य चुनौतियों का आकलन करने हेतु एमएसएमई सहित निर्यातकों के साथ नियमित परामर्श कर रहा है। मंत्रालय ने वस्त्र एवं अपैरल मूल्य ऋृंखला के विभिन्न स्तरों से—बड़े निर्यातकों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के निर्यातकों—के साथ दो व्यापक परामर्श बैठकें आयोजित की हैं।

सरकार भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश से अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है:-

(1) प्रमुख योजनाओं/पहलों में एक आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना बनाने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक्स, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान, नवाचार और विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास पर फोकस करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ - मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2 ; हथकरघा क्षेत्र के सम्पूर्ण समर्थन के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम आदि है। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी क्रियान्वित कर रहा है।

(2) वस्त्र क्षेत्र में अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत आने वाले इनपुट के लिए अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि को छह (6) माह से बढ़ाकर अठारह (18) माह कर दिया गया है।

(3) सरकार ने एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में प्रमुख संशोधन किए हैं ताकि उद्योग की चुनौतियों का समाधान किया जा सके, व्यापार करने में आसानी हो और क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। संशोधन में पात्र उत्पादों का विस्तार, नई कंपनियों की स्थापना से छूट, निवेश की न्यूनतम सीमा में कमी और वृद्धिशील टर्नओवर मानदंड शामिल हैं। संशोधन का उद्देश्य प्रवेश बाधाओं और वित्तीय सीमाओं को कम करना है, जिससे तेजी से निष्पादन हो सके।

(4) सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए इनपुट सामग्री लागत को कम करने, पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और समग्र उद्योग दक्षता को बढ़ाने के लिए एचएस 5,201 के तहत दिनांक 31.12.2025 तक कपास पर आयात शुल्क में छूट दी है।

(5) सरकार ने संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करने, लागत कम करने, मांग को बढ़ावा देने, निर्यात में सहायता प्रदान करने और नौकरियों को बनाए रखने के लिए वस्त्र मूल्य श्रृंखला में जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाया है।

(6) सरकार अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट की दो छूट योजनाओं और अन्य वस्त्र उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना का भी संचालन कर रही है।

(7) भारत ने भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) सहित 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन पर 24 जुलाई, 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे। इन एफटीए का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भारतीय निर्यातकों को भागीदार बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए संरचनात्मक समस्याओं का समाधान करना है।

(8) इसके अलावा, मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र निर्यात के लिए उच्च संभावित वैश्विक गंतव्यों की पहचान करते हुए एक व्यापक 40-देश बाजार विविधीकरण रणनीति तैयार की है। निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग प्रतिनिधिमंडलों और विदेशों में भारतीय मिशनों के समन्वित प्रयासों द्वारा समर्थित इन बाजारों में एक संरचित और लक्षित आउटरीच का उद्देश्य बाजार एकाग्रता जोखिमों को कम करना, भारत के निर्यात हिस्से को बढ़ाना और भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए अधिक अनुकूल और सस्टेनेबल वैश्विक पहचान को स्थापित करना है।

(9) सरकार ने एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और नए और उभरते बाजारों में विविधीकरण में सहायता प्रदान करना है।

(10) सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी है जो वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगी फ्रेमवर्क पर आधारित है।

******